मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 501-2883-1-(3)-78, भोपाल, दिनांक 15 दिसंबर 1979

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—भ्रष्टाचार के आरोपों पर शासकीय सेवक को निलंबन में रखना.

कुछ समय से शासन के समक्ष यह विषय विचारणीय रहा है कि जब किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में अभियोग चलाया जाता है और इस दौरान उसको निलंबन में रखा जाता है तो न्यायालय द्वारा उसको दोष मुक्त ठहराये जाने पर निलंबन को चालू रखा जा सकता है या नहीं. इस प्रश्न के साथ इस मुद्दे पर भी विचार किया गया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध शासन अपील दायर करना चाहता है या अपील दायर कर दी गई हो तब अपील के निराकरण होने तक संबंधित शासकीय सेवक को कोई पदोन्नति दी जा सकती है या नहीं.

2. यह उल्लेखनीय है कि जब निम्नतर अदालत का निर्णय समाधानकारक नहीं दिखता और इस बात की पूरी तसल्ली हो जाती है कि निम्नतर अदालत का निर्णय अपील में निरस्त हो जायेगा तभी विधि विभाग के परामर्श से अपील करने का निर्णय लिया जाता है. ऐसी स्थिति में केवल इस आधार पर कि शासकीय सेवक को निम्नतर अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है, इसलिये अपील के दौरान निलंबन में न रखा जाय, यह धारणा उस उद्देश्य के अनुकूल नहीं होगी जिस उद्देश्य से शासकीय सेवक को किसी आपराधिक प्रकरण के परीक्षण तथा अभियोजन के दौरान निलंबन में रखा जाता है. अत: निम्नतर अदालत द्वारा शासकीय सेवक को दोषमुक्त कर दिया जाने के बाद भी यदि इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर करने का प्रस्ताव विचारणीय हो या अपील दायर कर दी जाती है तो अपील के निराकरण होने तक संबंधित शासकीय सेवक को चालू रखा जा सकता है.

3. शासन चाहता है कि जब किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप के संबंध में, जिसमें शासकीय सेवक का नैतिक अधोपतन निहित है, प्रथम न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त करने के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय/ में अपील दायर की जाए, तो सामान्यतया उस शासकीय सेवक का निलंबन तब तक समाप्त न किया जाए, जब तक अपील में भी उसे दोषमुक्त घोषित नहीं किया जाता. यदि किसी मामले में अपील के दौरान सक्षम अधिकारी ऐसा समझता है कि निलंबन समाप्त करने के लिये औचित्य है, तो सक्षम प्राधिकारी को चाहिये कि :—

(1) जिस मामले में राज्य सतर्कता आयोग द्वारा अपील की गई है, उससे आयोग से परामर्श करके उसकी राय के अनुसार निर्णय ले; और

(2) अन्य प्रकार के मामले में, जहां तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का संबंध है, वे अपने प्रशासकीय विभाग से अनुमति प्राप्त करें. ऐसे मामलों में जहां सक्षम प्राधिकारी राज्य शासन है, विभाग द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त किये जायेंगे.

4. उपर्युक्त प्रकार के मामले में यदि किसी शासकीय सेवक को निलंबन में आगे नहीं रखने का निर्णय लिया जाता है तो उसका निलंबन समाप्त कर दिया जाए, किन्तु उसे उच्च पद पर पदोन्नत करने के संबंध में वही कार्यप्रणाली अपनाई जाये जो कि शासकीय सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने पर इस विभाग के दिनांक 31 जनवरी, 1964 के ज्ञापन क्रमांक 209-2449-1 (3) के अंतर्गत अपनाई जाती है.

5. आपसे निवेदन है कि शासन के इस अनुदेश का पालन कड़ाई से किया जाये एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी पालन कराया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. मीणा,
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.